रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220664
CG-DL-E-24072020-220664

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2139] **नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/श्रावण 2, 1942**
No. 2139] **NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SRAVANA 2, 1942**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2020

का.आ. 2424(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ. 804(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उन परियोजनाओं का जिन्होंने पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अभिप्राप्त किए बिना कार्य आरंभ कर दिया है और ऐसे मामलों को उल्लंघन माना गया है, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंध किया है।

और उक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उपपैरा (1) द्वारा यह निदेश दिया गया है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार से अथवा उपर्युक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त किए बिना भारत के किसी भी भाग में प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी अथवा दोनों में परिवर्तन सहित अतिरिक्त क्षमता के लिए शुरु की गई पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना 2006 [का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006] के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षावाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों या विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण को पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन का मामला माना जाएगा;

और उपर्युक्त अधिसूचना में यह और उपबंध है कि ऊपर निर्दिष्ट परियोजनाओं और क्रियाकलापों से उक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उपपैरा (2) से (7) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उपपैरा (4) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण में सं.का.आ. 1805(अ) द्वारा तारीख 6 जून, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के आदेश द्वारा सभी क्षेत्रों में उल्लंघन के मामलों का मूल्यांकन करने और केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनने वाली एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) का गठन करने का प्रस्ताव है;

और तारीख 6 जून, 2017 के उक्त आदेश के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार इस प्रकार गठित इस विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की पदावधि तीन वर्ष (अर्थात् 5 जून, 2020 तक) के लिए है;

और, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उपपैरा (4) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 6 जून, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिर्वतन मंत्रालय की अधिसचूना सं.का.आ. 1805(अ) द्वारा तारीख 6 जून, 2017 के आदेश में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त आदेश में,

(i) सारणी में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)
"10क	श्री अनिल कुमार झा, कोल इंडिया लिमि. का अध्यक्ष (सेवानिवृत्त), फ्लैट नं. 10डी, बीजी टावर, कांके रोड, रांची-834 008, झारखंड	सदस्य;";

(ii) पैरा 4 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"4क. पैरा 4 में अंतर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी विशेषज्ञ निर्धारण समिति के अध्यक्ष और सदस्य 6 जून, 2020 से 5 जून 2021 तक एक वर्ष की विस्तारित अवधि के लिए पद धारण करेंगे।"।

[फा.सं0 19-43/2017आईए.III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, सं.का.आ. 1805(अ), तारीख 6 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सं.का.आ. 1026(अ), तारीख 26 फरवरी, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2020

S.O. 2424 (E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, issued under sub-section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government has established an arrangement to appraise the projects, which have started the work without obtaining prior environmental clearance and such cases have been termed as cases of violation;

And whereas, vide sub-paragraph (1) of paragraph 13 of the said notification, it has been directed that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 [S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006] entailing capacity addition with change in process or technology or both, undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under the aforesaid Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

And whereas, the said notification further provides that the projects and activities referred above, shall be dealt strictly as per the procedure specified in sub-paragraphs (2) to (7) of paragraph 13 of the said notification;

And whereas, in exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification, an Expert Appraisal Committee (EAC) was constituted by the order of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extra ordinary *vide* number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017 comprising members with expertise in different sectors to appraise and make recommendations to the Central Government as cases of violation in all the sectors;

And whereas, the tenure of this Expert Appraisal Committee so constituted, is for three years (i.e. up to the 5th June, 2020), as specified in paragraph 4 of the said order dated the 6th June, 2017;

And now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification [number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017], the Central Government hereby makes the following further amendments in the order of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th June, 2017, namely:-

In the said order,

(i) in the Table, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"10 A.	Shri Anil Kumar Jha, Chairman of Coal India Ltd. (Retired), Flat No. 10D, BG Tower, Kanke Road, Ranchi - 834 008, Jharkhand	Member;";

(ii) after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"4A. Notwithstanding anything contained in paragraph 4, the Chairman and members of the Expert Appraisal Committee shall hold office for an extended term of one year from the 6th June, 2020 to the 5th June, 2021.".

[F. No. 19-43/2017-IA.III]
GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal order was published vide number S.O.1805 (E), dated the 6th June, 2017 and last amended *vide* number S.O. 1026 (E), dated the 26th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2020.07.24 19:50:08 +05'30'